न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार अपील संख्या 04/2021

अपीलार्थी बनाम **रेस्पोडेन्टस**

जगदीशलाल माथुर
निवासी– प्रेम स्मृति धन, मिश्री विला,
2 ख 3 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड,
जोधपुर।

लोक सूचना अधिकारी
अति0 संभागीय आयुक्त,
जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध आदेष दिनांक 01.09.2021 लोक सूचना अधिकारी (अति0संभागीय आयुक्त जोधपुर), कार्यालय हाजा

निर्णय

दिनांक नवम्बर,2021

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीया के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 01.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कार्यालय हाजा से यह सूचना चाही गई कि दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से 15 अगस्त 2021 तक आपके कार्यालय में जोधपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रतिलिपि तथा दिनांक 1 दिसम्बर, 2019 से 15 अगस्त 2021 तक आपके कार्यालय में जोधपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जारी किये गये नोटिस कारण बताओं नोटिस/स्पष्टीकरण/16 सीसीए/17 सीसीए के पत्र दिये गये होतो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध करावाने बाबत निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा उक्त सूचना चाही जाने पर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी की ओर से अपीलान्ट को सूचित किये जाने बाबत जरिये पत्रांक एडीसी/सू0अ0/72/2021/78 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा उक्त सूचना तैयार होने एवं प्रतिलिपि शुल्क 52 रूपये जमा करवाये जाने, पत्र जारी किया जिस पर दिनांक 27.09.2021 को अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा करवाते हुए सूचनाएं प्राप्त कर ली गई।

सूचना अधिकार अपील संख्या 04/2021 जगदीशमाथुर बनाम अति0 संभागीय आयुक्त

अपीलाथी के द्वारा दिनांक 05.10.2021 को प्रेषित अपील दिनांक 09.11.2021 को प्राप्त हुई जिसमें उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा से चाही गई सूचनाएं आधी अधूरी होने एवं बिन्दू संख्या 2 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने का उल्लेख करते हुए यह अपील की। जो कार्यालय में दिनांक 11.11.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर सुनवाई हेतु दिनांक 22.11.2021 नियत की जाकर लोक सूचना अधिकारी की संधारित पत्रावली तलब की गई एवं उनसे अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक 114 दिनांक 18.11.2021 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि अपीलान्ट को उनके प्रार्थना पत्र अनुसार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा बिन्दू संख्या 2 की सूचना अनुसार कार्यालय में उपलब्ध पत्र की प्रतियॉ उपलब्ध करवाई गई थी। अपीलान्ट को दोनों बिन्दूओं की सूचना दिनांक 27.09.2021 को उपलब्ध करवाई जा चुकी है अतः अपील निरस्त करावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधि., 2005 के तहत अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा बिन्दू संख्या एक व दो की सूचनाएं तैयार कर उपलब्ध करवाई जाना रेकर्ड से प्रतीत होता है। अपीलान्ट यदि उक्त सूचना आधी–अधूरी होना प्राप्त होना मानते है तो वे कार्यालय दिवस के दौरान उपस्थित होकर लोक सूचना अधिकारी की अनुमति से उनके समक्ष रहकर कार्यालय में संधारित पत्रावली का अवलोकन कर सकते है एवं अवलोकन कर सूचनाएं मिलने/नहीं मिलने के सम्बन्ध में संतुष्टि कर सकते है। अपील का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर